Friday the 2nd June, 1995, 12th Jyaistha, 1917 (Saka)

The Houst met at eleven of *the clock*, he Deputy Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

msing on the processing of Susrar-cane

3821. SHRI BHUPJNDER SINGH NN: Will the Minister of AGRI-CULTURE be pleased to state:

- (a) whether Government are aware " at licensing on the processing of sugar, sane is a great hindrance to the production of sugarcane in the country especially in Punjab where sugar mills are less in number than requirement;
- (b) if so, whether the requirement of eence in processing of sugarcane is proposed to be removed; and
 - (c) if not, the reasons therefor and o, by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (c) The licensing policy for sugar industry including the option of delicensing. is under examination.

श्री भपेन्द्र सिंहमान : मैडम, ग्रगरकोई उपज पैदा हो और उसके इस्तेमाल करने के ऊपर इकावट लगी हो तो इसका मतलब साफ है कि खेती की उपज में रुकाबट की स्थिति चल रही है। इस वक्त पंजाब की श्वर मिलों में, श्रांकड़ों के मुताबिक सन् 1980-81 में गत्ने की पैदावार 39लाख टन हुई और वहां केश सिर्फ पौने 6 लाख टन, 5.86 लाख टन हुआ। वैसे ही 1994-95 में 70.21 प्रोडक्शन हुआ ग्रीर कंजप्शन 34,98 टन हम्रा । इसका मतलब यह हम्रा कि गन्ते की पैदावर की होती है, उसका युटिलाइजेशन नहीं किया जाता और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि यन्ता कम है इसलिए शुगर मिलों को नहीं दिया जाता श्रीर इसके उसर प्रतिबंध लगाया जाता है, लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं, परिमट नहीं दिए जाते हैं, लेटर आफ इन्टेंट नहीं दिया जाता। इस प्रकार जो गन्ना पंदा होता है वह आधी कैंपेसिटी में पैदा होता है और उसका भी मिलों में युटिलाइ-जेशन नहीं होता और वह खंडसारी और दूसरी जीजों में इस्तेमाल होता है। इसलिए में जानना चाहता हूं कि सरकार इसको हीलाइसेंस क्यों नहीं करती ? यह गन्ना जो है इसको क्लोज पैन सिस्टम और वैक्यूम पैन सिस्टम में इसको युटिलाइज करने की इजाजत अभी तक सरकार ने क्यों नहीं की, इसके बारे में में मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

क्षि मंत्री (श्री बलराम जाखङ) : उपसभाषति जी, सरकार भूपेन्द्र सिंह जी ने जो कहा-वैसे मैं उनसे काफी सवाल करता रहता हूं और उनकी बात भी बहुत मानता हुं । इसका डीलाइसेंस <mark>करने</mark> और लाइसेंस में रखने के लिए गुणग्रौर दोष दोनों को देखना पड़ता है । ये चाहते हैं कि इस मामले पर विचार करना चाहिए। सवाल इतनः ही है कि देखना पड़ताहै । जहां तक पंजाब का प्रश्न सरदार साहव ने किया है, उसके मृत्तालिक मैं यह कह सकता हं कि यह एकानासिक फैक्टर है। किसान पैदा करता है अपनी आधदनी के लिए और जो ग्रामदनी होती है तो वह चीज वह लेता है जिससे उसकी प्राप्ति हो । पंजाब में इस वक्त 6 लाख टन की कैपेसिटी है लेकिन गन्ना उपलब्ध नहीं है । इसलिए वहां सिर्फ 3 लाख दन चीनी का उत्पादन होगा।

पंजाव में सन् 1988 से लेकर आज तक चार गुना कैपेसिटी बढ़ाई गई है और में आपको आश्वस्त कर सकता हूं सरदार भूपेन्द्र सिंह मान जो कि जब गन्ना पैदा हो जाएगा जो कि अब होने वाला है, अब इकोनोमिक तौर पर किमानों को फायदा होगा, असको पता लग गया है कि अब जो हमने नथी गन्ने की कीमतों दी हैं उनसे असको अधिक आपत होगी और अपने आप ही गन्ना ज्यादा पैदा करेगा। गन्ना अगर ज्यादा होगा तो जितना हमने एक्सपेंशन के लिए दे रखा है अभी तो वह भी पूरा नहीं हो पा रहा है, वह जब हो जाएगा तो में और कोशिश करंगें, उससे उबल कोशिश मैं करूंगा।

श्री भपेन्द्र सिंह मान : मैडम, मंत्री जी ने कहाकि वहां गन्ना उतनाहै नहीं जितनी कैपेसिटो है श्रौर शुगर मिल्ज नहीं चलती हैं। लेकिन वहां के आंकड़ों के म्ताबिक ब्राधे से कम गन्ना जो पैदा होता है वह शगर मिलों में युटीलाइज होता है श्रौर जीन कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें यह कहा गया था कि वहां इतना ग्रधिक गन्ना हो सकता है कि 50 शुगर मिल्ज होनी चाहियें। लेकिन इससे ग्रागे जा कर मैं यह कहंगा कि यह क्या ग्रधिकार है किसी को कि जो गन्ना पैदाकरता है उसको प्रोसेस करने के ऊपर रुकावट लगाई जाए श्रीर यहां बैठ कर डिसाइड करें कि वह अपने गन्ने से चीनी बना सकता है या नहीं, शक्कर बना सकता है या नहीं, गुड बना सकता है या नहीं। जब दुनिया खुलेपन की तरफ जा रही है तो यह क्यों व्यवस्था है कि किसान को रुकाबट है, वह अपने मन्ने का कुछ न बना सके। यहां बैठ कर के लाइसेंस किसी को जो प्रपने नजदीक वाला हो जो साथ वाला हो, जिसके हाथ ग्रच्छे हों, उसको दे दिया जाए श्रीर वह गन्ना अपनी मरजी के साथ ले या खराब करे या बरबाद करे। (व्यवधान)

श्री विन्धिजय सिंह: जो हाथ वाला हो। यह कहिये।

श्री भपेन्द्र सिंह मान : वह किसान के ऊपर हकावट लगाए । किसान जो पैदा करता है उसके प्रोसेस करने के रास्ते में मोनोपली की जाए कुछ लोगों के हाथ में, उसके प्रोडक्शन को हाथ लगाने की कोशिश हो, यह किसान के साथ ही नहीं बल्कि देश के साथ भी धोखा है । ग्राधा परसेंटेज जो गन्ने का है, वह गुड़ और शक्कर में जाता है जबकि उसका यूटीलाइजेशन या जो उसकी रिकवरी है, वह ग्राधी ही होती है यह नेशनल लॉस भी है। इस वेशनल लॉस को देखना चाहिये कि श्राज तक कितना हथा है और उसको रोकने के लिए यहां विलक्त **प्राश्वासन देना च।**हिये कि एकदम इसे डिलाइ-सेंस किया जाएगा। मेरा यह भी कहना कि गन्ने भीर सभी वस्तग्रों को प्रोसेस करने के ऊपर रुकावट न की जाए।

श्री बलराम जाखड़ : सरदार साहब ने बहुत कुछ बातें कहीं हैं। पहले तो पंजाब के मुत्तालिक ग्रापको मैं बताऊं कि एक्सपेंशन के लिए हमने गरदासपूर को 1250 से 2500, मोरिडा को 2250 से 5000, भोगपूर को 1000 से 2500, बटाला को 1500 से 4000, फगवाड़ा को 2500 5000, फगवोड़ा दूसरी को 5000 10000 टन क्रिंगिंग कैंपेसिटी का लाइने देरखा है। इस प्रकार से कोई कमी न है लेकिन जो आपने कही है, मैंने तो पह भी कहा है कि गुण और दोष दोनों हैं Everything has got its negative and potive aspects, अगर आप कहें तो मं सारा पढ़ कर ग्रापको बता सकता कारण है कि क्या जिससे लाइसेंसिंग की जाती है स्रौर वैसे ही दूसरे कारण है जिनके अधार पर लाइसेंसिंग नहीं करनी चाहिये। लाइसेंस करने के कारण की मैं अगर बात करूं, अगर आप अक्ता दें तो मैं विस्तारपूर्वक बोल दूं क्योंकि यह काफी विस्तार में बोलने वाला मसला है वरन वःमेटी में इसीलिए दे रखा है। म शायद ग्रापकी बात से सहमत हो सकता ; लेकिन कभी-कभी सोचना पड़ता है जैसे इंस्टाल्ड कॅंपेसिटी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिलें काम कर रहीं हैं, श्रगर उस एरिया में नयी मिलें लगा दें तो फिर ऐसा है कि नयी मिलों को कुछ प्रोत्साहन देते हैं जिससे उनकी प्रोफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। पुरानी मिलें जो होती हैं इसके फलस्वरूप वह मर जाती हैं। इसलिए ऐसान हो कि गडबड़ हो जाए और ग्रसंतुलन हो जाए। ग्रभी 25 किलोमीटर का दायरा है । कहीं-कहीं 15 किलोमीटर भी कर देते हैं जहां गन्ना ज्यादा पैदा होता है। इसलिए ऐसी चीजें हैं, गण और दोध दोनों हैं, ग्रगर श्राप कहें तो मैं सब डिटेल्ज शापके पास भेज सकता हुं श्राप से इस पर सलाह भी कर लेंगे, क्या कारण है। वैसे गुड़ और शक्कर दोनों के बगैर भी गजारा नहीं है, यह भी जरूरी है। मैं तो कर्म से कम गृड खाता हं। इसलिए थोडासामझेभी जीनेदो ।

SHRI GOPALRAO VITHALRAO PA-TiL: How many proposals of cooperative sugar factories have been received from Maharashtra? Is the Government considering them favourably and thinking of 5

giving licences to all these factories? Last year you had given licences to some factories. Have they started production and, if so, at what stage of production they are?

SHRI BALRAM JAKHAR: Madam, this question specifically relates to Punjab, but I can provide all the data to the hon. Member, if he so likes. I can ask my Ministry to collect all those data which we have given to them and which are in the process. To my knowledge, they have not so far been completed, but they are in the process. There are certain facilities which are to be availed of by them regarding money. So, they are in the-process and I can send that information to the hon. Member.

SHRI VIRENDRA KATARIA: The people in our country and Punjab in particular are not setting up sugar mills due to various problems and cumbersome procedures, such as licensing on processing of sugarcane and also in the absence of any incentives from the Government. Therefore, I would like to know from the hon. Minister what steps are being taken to encourage the people of Punjab to grow more sugarcane, to set up more processing units of sugar and sugar mills, and whether the procedure of licensing on the processing is existing in all the Stales. Part (b) of my quesition is: What is the extensive sugar production scheme and when is it going to be implemented?

SHRI BALRAM JAKHAR: The question is very relevant. We would like to enhance the production of sugarcane so that our factories can work and for that yesterday the Cabinet has approved a scheme called Sustainable Development of Sugarcane Based Cropping Pattern Scheme and Rs. 69 crores have been sancioned for that. I think that will give a greater boost to the production of sugarcane and will also provide technical help for integrated pest management programme, apart from whatever help is made available by giving him more remunerative prices and that will help to increase our sugar production and our factories will work more profitably.

SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Madam, I would like to know from the

hon. Minister how many licences for sugar mills have been given in the State of Andhra Pradesh in the year 1994 and out of which how many licences have been utilised to set up sugar mills.

SHRI BALRAM JAKHAR: Madam, we will have to forward the answer because this is a new question. This question is specifically for Punjab.

श्री शिक्वरण सिंह: महोदया, क्वेश्वन के पार्ट "ख" के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि वे कृपया स्पेसिफिकली यह बताने की कृपा करें कि जो शुगर मिलों की डीलाइसेंसिंग के बारे में प्रधान मंत्री और आपकी कई बार घोषणाएं हो चुकी हैं लेकिन बार-बार आप इस मामले को क्यों लटकाते जा रहे हैं ? यदि शुगर मिल्स का डीलाइसेंसिंग करना चाहते हैं तो कब तक करना चाहते हैं ? माननीय मंत्री जी इसका स्पेसिफिक उत्तर दें और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे ?

श्री वलराम जाखड़ : महोदया, मैंने इस प्रश्नका उत्तर पहले ही दे दिया है । अगर आप कहें तो मैं दुबारा उसको रिपार्ट कर दूं।

उपसभापति : नहीं । श्रापने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री शिवचरण सिंह: मुझे तो कृपया यह उत्तर दे दें कि श्रगरश्राप डील।इसेंसिंग करेंगे तो कब तक करेंगे ?

श्री बलराम जाखड़ः एक्टिव कंसीडरेशन कह दं।

SHRI K. R. MALKANI: How long will the active 'consideration take?

SHRI BALRAM JAKHAR: Everything takes time.

Liability under DPEA

- *822. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:
- (a) the names of the companies who have provided the data asked for while working out the liability under DPEA;
- (b) the source and data on which Government worked out the liabilities is